**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2761**

**दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**मोबाइल फोन का निर्यात**

**2761. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:**
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**
**श्री संजय दिना पाटील:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**
**श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत के मोबाइल फोन निर्यात में **भारी** उछाल दर्ज किया गया है, जो सामान्य मौसमी प्रवृत्तियों के विपरीत लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और यदि हां, तो इस वृद्धि को गति देने वाले कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल निर्यात में मुंबई, पुणे और नासिक सहित महाराष्ट्र में स्थित मोबाइल विनिर्माण और असेंबली इकाइयों का विशिष्ट योगदान कितना है;

(ग) क्या उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ महाराष्ट्र के विनिर्माताओं द्वारा समान रूप **से** उठाया गया है अथवा क्या छोटी और मध्यम आकार की इकाइयों को प्रवेश बाधाओं और क्षेत्रीय असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र स्थित विनिर्माताओं को प्रभावित करने वाली उच्च संभार तंत्र लागत, सीमित घटक पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल की कमी और अपर्याप्त अवसंरचना जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र से मोबाइल निर्यात के विविध क्षेत्रीय रूप से संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत, अवसंरचना या निर्यात सुविधा के उपायों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) जनवरी 2026 में, स्मार्टफोन का निर्यात (एचएस कोड 85171300) 2.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। स्मार्टफोन निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार की उन नीतियों के कारण है जिनका उद्देश्य भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।

(ख) अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान स्मार्टफोन का निर्यात 21.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें महाराष्ट्र का योगदान 594 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ग) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए पीएलआई योजना अखिल भारतीय पहल है और महाराष्ट्र सहित कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसके तहत लाभ उठा सकता है। वर्तमान में, महाराष्ट्र की 7 कंपनियां विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक (एसईसी) लक्षित सेगमेंट के तहत अनुमोदित हैं, जिन्होंने एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 47 करोड़ रुपये का संचयी प्रोत्साहन का लाभ उठाया है।

(घ) और (ङ) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको सिस्टम को और अधिक गहरा और व्यापक बनाने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य मजबूत घटक मूल्य श्रृंखला विकसित करना, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) में वृद्धि हो और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकृत करके भारत के निर्यात के हिस्से को बढ़ाना है । ईसीएमएस एक अखिल भारतीय पहल है और महाराष्ट्र सहित कोई भी राज्य/संघ राजय क्षेत्र इसके तहत लाभ उठा सकता है। निर्यातक नीचे उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठा सकते हैं:

i. **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम):** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करना है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के इर्द-गिर्द संरचित है:

   **निर्यात प्रोत्साहन** ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण संवर्धन संबंधी सहयोग जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है; और

   **निर्यात दिशा** निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, अंतर्देशीय परिवहन सहायता और व्यापार आसूचना जैसी अन्य व्यापार सहायक प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

ii. **ऋण सहायता:** पर्याप्त और किफायती ऋण सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) ने बैंकों के लिए संपूर्ण कारोबार-निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) के तहत 80 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए बीमा कवर को (70% से) बढ़ाकर 90% कर दिया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए 10 करोड़ रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमा के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण कवर भी शुरू किया गया है।

iii. **ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म:** सरकार ने भारतीय निर्यातकों को व्यापार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया है। यह एक एकल-खिड़की पोर्टल के रूप में कार्य करता है जो विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषद और वाणिज्य विभाग को जोड़ता है, जिससे नए और मौजूदा निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच सुगम हो सके।

इसके अलावा, भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन को स्थिर और मजबूत करने के लिए, सरकार निर्यातकों को हाल ही में ईएफटीए देशों, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के साथ संपन्न हुए एफटीए से उत्पन्न फायदों का बेहतर उपयोग करने में मदद करने के लिए सक्रीय रूप से कार्य कर रही है।

*****